



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 24 मार्च, 2021

चैत्र 3, 1943 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2

संख्या 679/बावन-2-2021-2(255)-03-टी०सी०-I

लखनऊ, 24 मार्च, 2021

अधिसूचना

प०आ०-83

चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 के अधीन उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के गठन हेतु निम्नलिखित श्रेणियों के लिये सामान्य निर्वाचन उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड निर्वाचन का संचालन नियमावली, 1997 के अनुसार कराये जाने का विनिश्चय किया गया है :-

1-श्रेणियों के नाम, जिसके लिये निर्वाचन कराया जाना है-

(क) उत्तर प्रदेश राज्य से शिया समुदाय के दो संसद सदस्य (धारा 14 (1), (ख) (एक) के अधीन);

(ख) उत्तर प्रदेश के शिया समुदाय के दो विधान मण्डल सदस्य (धारा 14 (1), (ख) (दो) के अधीन);

(ग) उत्तर प्रदेश के शिया समुदाय के राज्य बार कौंसिल के दो सदस्य (धारा 14 (1), (ख) (तीन) के अधीन);

(घ) एक लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले वक्फ के दो मुतवल्लीगण (धारा 14 (1), (ख) (चार) के अधीन)।

2-अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड निर्वाचन संचालन नियमावली, 1997 के नियम 7 के साथ पठित वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1995) की धारा 14 के उपबंध के अनुसरण में राज्यपाल निदेश देती हैं कि उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन, नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा :-

## अनुसूची

1	निर्वाचन हेतु अधिसूचना	24-03-2021	
2	निर्वाचन नामावली तैयार किया जाना	25-03-2021 से 09-04-2021 तक	
3	निर्वाचन नामावली का प्रकाशन	10-04-2021	
4	निर्वाचन नामावली पर आपत्ति प्राप्त करना	11-04-2021 से 13-04-2021 तक	पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक
5	आपत्तियों का निस्तारण	15-04-2021	पूर्वाह्न 11.00 बजे से समाप्त होने तक
6	अन्तिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन	16-04-2021	
7	नाम-निर्देशन प्रस्तुत करना	17-04-2021	पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक
8	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	17-04-2021	अपराह्न 3.30 से समाप्ति तक।
9	नाम-निर्देशन पत्रों की वापसी	18-04-2021	पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक
10	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	19-04-2021	
11	मतदान किया जायेगा यदि आवश्यक हुआ	20-04-2021	पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
12	मतगणना का दिनांक	20-04-2021	अपराह्न 4.00 बजे से मतगणना पूर्ण होने तक
13	परिणाम की घोषणा	20-04-2021	मतगणना समाप्त होने तक

उपर्युक्त समय-सारिणी के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया कार्यालय, उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कक्ष सं० 817 (8वाँ तल) इन्दिरा भवन, लखनऊ में सम्पन्न करायी जायेगी।

आज्ञा से,  
बी० एल० मीणा,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 679/LII-2-2021-2(255)-03T.C., dated March 24, 2021 for general information.

No. 679/LII-2-2021-2(255)-03T.C.

*Dated Lucknow, March 24, 2021*

WHEREAS it has been decided by the Government of Uttar Pradesh to conduct a general election for the constitution of Uttar Pradesh Shia Central Waqf Board under section 14 of the Waqf Act, 1995 for the following categories in accordance with the Uttar Pradesh Shia Central Waqf Board and Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board Conduct of Election Rules, 1997 :-

1. Names of the categories for which election is to be held-

(a) two Members of Parliament of Shia Community from the State of Uttar Pradesh [Under section 14 (1) (b) (i)];

(b) two Members of Legislature of Shia Community of Uttar Pradesh [Under section 14 (1) (b) (ii)];

- (c) Two Member of State Bar Council of Shia Community of Uttar Pradesh [Under section 14(1) (b) (iii)];
- (d) Two mutawallies of Waqfs having an income of Rupees one Lac or more [under section 14 (1) (b) (iv)].

2. NOW, THEREFORE, in pursuance of the provision of section 14 of the Waqf Act, 1995 (Act no. 43 of 1995) read with rule 7 of the Uttar Pradesh Shia Central Waqf Board and the Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board Conduct of Election Rules, 1997 and section 21 of the General Clauses Act 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to direct that the election of members of the Uttar Pradesh Shia Central Waqf Board shall be conducted by Election Officer as per the Schedule given as under:-

SCHEDULE

1	Notification of Election	24.03.2021	
2	Preparation of Electoral Roll	25.03.2021 to 09.04.2021	
3	Publication of Electoral Roll	10.04.2021	
4	Receiving of Objection on Electoral Roll	11.04.2021 to 13.04.2021	11.00 AM to 5.00 PM.
5	Disposal of Objection	15.04.2021	11.00 AM upto finishing.
6	Publication of final Electoral Roll	16.04.2021	
7	Presentation of Nomination	17.04.2021	11.00 AM to 3.00 PM
8	Scrutiny of Nomination Papers	17.04.2021	3.30 PM upto finishing
9	Withdrawal of nomination papers	18.04.2021	11.00 AM to 5.00 PM.
10	Publication of List of candidates contesting the election	19.04.2021	
11	Polling shall be held, if it should be necessary	20.04.2021	8.00 AM to 4.00 PM
12	Counting of Votes	20.04.2021	4.00 PM upto completion of counting
13	Declaration of Results	20.04.2021	upto finishing of counting

According to above time table election procedure will be conducted in the office of Uttar Pradesh Shia Central Waqf Board, room no. 817 (8<sup>th</sup> floor) Indira Bhawan, Lucknow.

By order,  
B. L. MEENA,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 818 राजपत्र-2021-(1724)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 7 सा० अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ-2021-(1725)-200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।